

# सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वां तल पी.सी.एफ. भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Ph. No.: 0522-2630877, Fax No.:0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 67 / सो.आ.नि.-368 / 2015

दिनांक: २९ अप्रैल, 2015

प्रेषक,  
निदेशक,  
सोशल आडिट, उ0प्र0,

सेवा में,  
समस्त जिलाधिकारी / जिला कार्यक्रम समन्वयक  
उत्तर प्रदेश।

विषय: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत सोशल आडिट  
में पाई गई कमियों पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 1729 / अड़तीस-7-2014-324नरेगा/2012  
दिनांक 04 अगस्त, 2014 (फोटोप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त  
शासनादेश द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित महात्मा गांधी नरेगा  
स्कीमों की लेखा परीक्षा नियमावली-2011 के नियम-7(3) एवं (5) में यथा निर्दिष्ट निम्नांकित  
कार्यवाही प्राथमिकता के आधार आपके नियंत्रणाधीन सुनिश्चित की जानी है:-

1. सोशल आडिट रिपोर्ट में पाई गई कमियों पर जिला कार्यक्रम समन्वयक की देखरेख में  
उपायुक्त (मनरेगा), संबंधित खण्ड विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास  
अधिकारी एवं क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की जाये तथा गबन की  
गयी अथवा अनुचित उपभोग की गई धनराशि की वसूली के लिए नियमानुसार आवश्यक  
कार्यवाही की जाय।
2. उपायुक्त (मनरेगा) द्वारा मजदूरी के दुर्विनियोग किये जाने पर ऐसी रकम की वसूली के 07  
दिनों के अंदर संबंधित श्रमिक को उसका भुगतान किया जाय।
3. जिला कार्यक्रम समन्वयक की अनुमति से उपायुक्त (मनरेगा) द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत  
धनराशियों के दुर्विनियोग या गबन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही  
(जिसके अन्तर्गत आपराधिक और सिविल प्रक्रिया का प्रारम्भ करना या सेवा समाप्ति भी है)  
प्रारम्भ की जाय।
4. आप अवगत हैं आपके जनपद में ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में  
सोशल आडिट सम्पन्न हो चुका है और सोशल आडिट प्रतिवेदनों को आवश्यक कार्यवाही  
हेतु आपको उपलब्ध करा दिया जा चुका है।
5. ज्ञातव्य है कि लेखा परीक्षा नियमावली-2011 के पूर्ववत् नियमों के अनुसार सोशल आडिट  
प्रतिवेदनों में उल्लिखित अनियमितताओं / कमियों का विवरण प्रधान महालेखाकार को प्रेषित  
किया जाना है। प्रधान महालेखाकार द्वारा तदुपरान्त सोशल आडिट के प्रतिवेदनों का  
सारांश विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा सकती।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया शासन के निर्देशानुसार सोशल आडिट प्रतिवेदनों पर आवश्यक कार्य करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण (Action Taken Report) इस निदेशालय को सूचित करते हुए अपर आयुक्त, मनरेगा, उ0प्र0 को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय  
*Kamal*  
(कामरान रिजवी)  
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या: /सो.आ.नि.-/ 2015, तददिनाँक:

प्रतिलिपि: प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

*Kamal*  
(कामरान रिजवी)  
निदेशक

प्रेषक,

अशोक कुमार,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र०, शासन।

सेवा में,

1. अपर आयुक्त(मनरेगा),  
ग्राम्य विकास;  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ दिनांक 04 अगस्त, 2014

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत सोशल आडिट में पायी गयी कमियों पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में 11412 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का सोशल आडिट सम्पन्न हो चुका है। सम्पन्न सोशल आडिट से संबंधित प्रतिवेदनों को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अतः भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित महात्मा गांधी नरेगा स्कीमों की लेखा परीक्षा नियमावली-2011 के नियम-7(3) एवं (5) में यथा निर्दिष्ट निम्नांकित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर आपके नियंत्रणाधीन सुनिश्चित की जानी है:-

1. सोशल आडिट रिपोर्ट में पायी गयी कमियों पर जिला कार्यक्रम समन्वयक की देख-रेख में उपायुक्त (मनरेगा), संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी एवं क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की जाय तथा गबन की गयी अथवा अनुचित उपभोग की गयी धनराशि की वसूली के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय।
2. उपायुक्त (मनरेगा) द्वारा मजदूरी के दुर्विनियोग किये जाने पर ऐसी रकम की वसूली के 07 दिनों के अंदर संबंधित श्रमिक को उसका भुगतान किया जाय।
3. जिला कार्यक्रम समन्वयक की अनुसत्ति से उपायुक्त (मनरेगा) द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशियों के दुर्विनियोग या गबन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही(जिसके अन्तर्गत आपराधिक और सिविल प्रक्रिया का प्रारम्भ करना या सेवा समाप्ति भी है) प्रारम्भ की जाय।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय  
— (अशोक कुमार )  
विशेष सचिव।

संख्या:- (1)/अद्वृतीस-7-2014 तारीखिनांक:-

प्रतिलिपि लिखनलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त ग्राम्य विकास, उम्पोर, लखनऊ।
2. समस्त अण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त /मुख्य विकास अधिकारी, उम्पोर।
4. समरत जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से

( अशोक कुमार )

विशेष राचिव।